



परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: कडिका-1.8.2; पृष्ठ-18)

पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में 5वीं राज्य वित्त आयोग की महत्वपूर्ण अनुशंसाएं और बिहार सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति को दर्शाती विवरणी

| क्रम सं. | कडिका सं. | अनुशंसाएं | राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत करने की स्थिति | स्वीकृत करने के पश्चात् विभाग द्वारा की गई कार्रवाई। |
|----------|-----------|--|---|---|
| 1 | 8.11.1 | ग्रा.पं, पं.स. एवं जि.प. के बीच प्रतिनिधायित निधियों का वितरण 70:10:20 में होगा। | स्वीकृत | ग्रा.पं, पं.स. एवं जि.प. के बीच प्रतिनिधायित निधियों का हस्तान्तरण 70:10:20 में किया जा रहा है। |
| 2 | 9.13.1 | जि.प. के कम से कम मौजूदा कर्मचारियों का वेतन उनके स्वयं के राजस्व से निर्वहन होना चाहिए। राज्य सरकार अधिक से अधिक बकाए भुगतान कर सकती है। | स्वीकृत | राशि का आवंटन इस मद में किया गया है। |
| 3 | 9.13.2 | मॉडल पंचायत संवर्ग के अनुसार मानव बल के लिए कर्णांकित धनराशि केवल नए और रिक्त पदों को भरने के लिए है, न कि मौजूदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान आदि के लिए। | स्वीकृत | ग्राम पंचायत में कार्यपालक सहायक की नियुक्ति संविदा के आधार पर की गयी है। |
| 4 | 9.13.3 | ई-गवर्नेंस के लिए उपलब्ध राशि का उपयोग ई-पंचायत मॉड्यूल के संचालन के लिए मिशन मोड में किया जाना है। | स्वीकृत | ई-गवर्नेंस हेतु धनराशि व्यय करने के निर्देश स्वीकृत्यादेश के माध्यम से दिए जा रहे हैं। |
| 5 | 9.6.4 | पं.रा.सं. के लिए समग्र निष्पादन अनुदान की राशि मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना की पूरक होगी और इसे 70:10:20 स्वीकृत के अनुपात में ग्रा.पं, पं.स. एवं जि.प. में विभाजित किया जाएगा। | स्वीकृत | प्रक्रियाधीन है। |
| 6 | 10.5.5 | स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय को सुदृढ़ बनाना। | स्वीकृत | डी.एल.एफ.ए., बिहार, पटना वित्त (अंकेक्षण) विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। डी.एल.एफ.ए. का सुदृढ़ीकरण वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा किया जाना है। पं.रा.स. की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए पं.रा.स. को सुदृढ़ करने की योजना बनाने के लिए पं.रा.वि. ने विभागीय पत्र सं 4255 दिनांक 04.07.2019 और पत्र सं 88 दिनांक 04.01.2019 के माध्यम से आग्रह किया है ताकि बड़ी संख्या में पं.रा.सं का समय पर लेखापरीक्षा किया जा सके। |
| 7 | 10.9.13 | स्थानीय निकायों की ओर से मनोरंजन कर पर 10 प्रतिशत का अधिभार लगाना और अधिभार का एक उचित हिस्सा पं.रा. सं के साथ साझा करना। | स्वीकृत | प्रक्रियाधीन है। |
| 8 | 10.19.4 | भ्रष्टाचार, कदाचार आदि के आरोपों की जाँच के लिए पंचायतों के लिए अलग से लोकपाल को तत्काल प्रचालित करना। | स्वीकृत | लोकपाल की नियुक्ति नहीं की गई है लेकिन निरीक्षण एवं अनुश्रवण की व्यवस्था विभाग स्तर पर है। |

| क्रम सं. | कंडिका सं. | अनुशंसाएं | राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत करने की स्थिति | स्वीकृत करने के पश्चात् विभाग द्वारा की गई कार्रवाई। |
|----------|------------|---|---|--|
| 9 | 10.6.6 | <ul style="list-style-type: none"> पंचायती राज विभाग, पंचायत वित्त की एक नियमावली तैयार करेगी एवं परिचलित करेगी। पं.रा.सं द्वारा करों के संग्रहण के लिए आवश्यक नियम और दिशा-निर्देश तैयार कर इसे परिचालित किया जाय। पंचायतों द्वारा स्वयं के राजस्व की वसूली को प्रोत्साहित किया जाय। | स्वीकृत | बिहार पंचायत (ग्राम पंचायत, लेखापरीक्षा, बजट और कराधान) नियम प्रक्रियाधीन है। |
| 10 | 2.4.9 | <ul style="list-style-type: none"> पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत राजस्व संग्रह का समग्र पर्यवेक्षण किया जाता है। कर और गैर-कर राजस्व दोनों के संग्रह की क्षमता में सुधार के साथ-साथ राजस्व वृद्धि के कदमों की निगरानी के लिए प्रस्तावित टी.एस.एस.पी.। | स्वीकृत | प्रक्रियाधीन है। |
| 11 | 6.2.1 | ग्रा.पं साधारण दर पर भी संपत्ति कर लगाना शुरु कर देगी। | स्वीकृत | प्रक्रियाधीन है। |
| 12 | 10.9.1 | पं.रा.सं के लिए राजस्व लक्ष्य का निर्धारण एवं पं.रा. विभाग द्वारा उसकी अनुश्रवण। | स्वीकृत | प्रक्रियाधीन है। |
| 13 | 10.9.11 | राज्य सरकार पंचायतों को विज्ञापन पर कर वसूल करने का अधिकार देगा। | स्वीकृत | प्रक्रियाधीन है। |
| | गैर-कर | ग्रा.पं. से एकत्रित भू राजस्व की शुद्ध आय ग्रा.पं. को अंतरित की जाय। | स्वीकृत | प्रक्रियाधीन है। |
| 14 | 2.3 | अपेक्षित पेशेवर और तकनीकी मानव बल के लिए 5वीं राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित मॉडल पंचायत संवर्गों को लागू किया जाय। | स्वीकृत | ग्रा.पं. कार्यपालक सहायक की नियुक्ति संविदा के आधार पर किया गया है। |
| 15 | 2.3.2(सी) | पी.डी.ओ. (और पी.डी.ओ. बहाली होने तक पंचायत सचिव) सभी ग्रा.पं. स्तर के संविदा कर्मचारियों (जैसे विकास मित्र, टोला सहायक, आई.ए.वाई. सहायक आदि) पर नियंत्रण रखेगा। इसके अलावे ऐसे कर्मचारी पी.एस.वी. में रखे मास्टर उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर करेंगे। | स्वीकृत | पंचायत स्तर के स्टाफ के लिए विभाग द्वारा पत्र निर्गत किए जा चुके हैं। |
| 16 | 2.2.5.4 | योजना के लिए पंचायत के लिए प्लान प्लस और जी.आई.एस.मॉड्यूल का उपयोग कर एवं पेशेवर कर्मचारियों के साथ डी.पी.सी को प्रभावी एवं क्रियाशील बनाना। | स्वीकृत | प्लान प्लस का उपयोग जी.पी.डी.पी. के माध्यम से योजना बनाने में किया जा रहा है। |
| 17 | 10.3.4 | पं.रा.सं को मैनुयल के अनुसार समय पर परिणाम आधारित बजट तैयार करना चाहिए, जो समुदायों की रणनीतिक प्राथमिकताओं को बढ़ावा देने वाली दीर्घकालिक और अल्पकालिक योजनाओं के अनुरूप होना चाहिए और नागरिकों के प्रतिक्रिया के लिए वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए। स्वीकृत बजट में किसी प्रकार का घाटा नहीं दिखाया जाना चाहिए। | स्वीकृत | ग्रा.पं. के पास राजस्व का कोई अपना श्रोत नहीं है अतः बजट तैयार नहीं किया जा सका। जबकि जी.पी.डी.पी. तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। |

| क्रम सं. | कंडिका सं. | अनुशंसाएं | राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत करने की स्थिति | स्वीकृत करने के पश्चात् विभाग द्वारा की गई कार्रवाई। |
|----------|------------------|--|---|--|
| 18 | 10.4.10 | <ul style="list-style-type: none"> पंचायतों द्वारा खातों के रख रखाव के लिए पंचायती राज विभाग के पास पर्यवेक्षण और सहयोग करने के लिए एक मजबूत प्रणाली होनी चाहिए। स्थायी सुधार के लिए अंतरिम उपाय के रूप में सी.ए. (आंतरिक लेखापरीक्षक) को अनुबंधित करने के अलावे योग्य लेखाकारों को नियमित रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए। | स्वीकृत | पंचायती राज विभाग ने सितंबर 2019 में बिहार पंचायत लेखापरीक्षा सेवा में लेखा परीक्षकों के 373 पदों को मंजूरी दी है। लेखाकार-सह-आई.टी. सहायक को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है। |
| 19 | 10.4.9 | सभी पं.रा.सं को तत्काल लेखांकन के लिए प्रियासॉफ्ट का उपयोग करना चाहिए और इसे लागू करने के लिए, राज्य सरकार सभी पं.रा.सं में तत्काल सूचना प्रौद्योगिकी सुविधा और नियमित लेखाकार उपलब्ध कराएगा। | स्वीकृत | वर्तमान में प्रियासॉफ्ट को बंद कर दिया गया है और बिहार के 12 जिलों में राज्य आधारित जी.पी.एम.एस. को पायलट प्राजेक्ट के रूप में अपनाया गया। लेखाकार-सह-आई.टी. सहायक को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया गया है। |
| 20 | 10.19.1 | <ul style="list-style-type: none"> समुदाय को मुख्य परफॉरमेंस इंडिकेटर तैयार करने में शामिल करना चाहिए तथा वास्तविक उपलब्धि से समुदाय को अवगत कराना चाहिए। एस.एल.वी. को विभिन्न सेवाओं के लिए प्रचारित किया जाना चाहिए। सिटीजन चार्टर को नियमित रूप से अद्यतन और प्रसारित किया जाना चाहिए। | स्वीकृत | जी.पी.डी.पी. तैयार कर इसका अनुपालन किया गया है। |
| 21 | 2.5 और 2.5.1(ii) | ग्राम सभा, वार्ड सभा, स्थायी समितियों आदि की नियमित एवं उद्देश्यपूर्ण बैठकें सुनिश्चित की जाय। ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण सुनिश्चित किया जाय। | स्वीकृत | पंचायती राज विभाग ने ग्रामीण विकास विभाग से सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी की मदद से सामाजिक अंकेक्षण करने का अनुरोध किया है और नालंदा जिला में सामाजिक अंकेक्षण का कार्य चल रहा है। |

(स्रोत: 5वीं राज्य वित्त आयोग का प्रतिवेदन और विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी)

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्थानीय निकायों पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: कंडिका -2.1; पृष्ठ-25)

अपूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति को दर्शाती विवरणी

राशि ₹ में

| क्रम संख्या | पंचायत समिति का नाम | वर्ष | आंगनबाड़ी केन्द्रों से संबंधित लिए गए योजनाओं की संख्या | अपूर्ण आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या | अपूर्ण योजनाओं की कुल प्राकलित राशि | अपूर्ण योजनाओं की प्राकलित राशि | अपूर्ण योजनाओं पर अग्रिम भुगतान | मापी पुस्त के अनुसार किए गए कार्य का मूल्य |
|---------------------|---------------------|---------|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 1. | पकड़ीबरावाँ (नवादा) | 2010-16 | 24 | 6 | 12554600 | 3253200 | 2212000 | 2331858 |
| 2. | रामगढ़चोक (लखीसराय) | 2010-16 | 4 | 1 | 1175600 | 587800 | 357500 | 243833 |
| 3. | बिहटा (पटना) | 2010-16 | 36 | 15 | 22679000 | 9522000 | 6334936 | 4079386 |
| 4. | मनेर (पटना) | 2010-16 | 9 | 4 | 5946800 | 2618800 | 1127894 | 953170 |
| 5. | गुरुआ (गया) | 2010-16 | 32 | 9 | 17920350 | 5357450 | 3455688 | 2948593 |
| 6. | बड़हिया (लखीसराय) | 2010-16 | 12 | 2 | 6673200 | 1048800 | 765000 | 444050 |
| 7. | डोभी (गया) | 2010-16 | 20 | 5 | 24543200 | 2906700 | 1982500 | 1698437 |
| कुल | | | 137 | 42 | 91492750 | 25294750 | 16235518 | 12699327 |
| लंबित अग्रिम | | | 16235518-12699327=3536191 | | | | | |

(स्रोत: नमूना जाँचित इकाईयों द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कंडिका-3.3.2; पृष्ठ-30)

शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों/विषयों की सूची को दर्शाती विवरणी

| क्र. सं. | बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा | कार्य/विषय |
|----------|---------------------------------------|---|
| 1. | 290 | नगर योजना को शामिल करते हुए शहरी आयोजना |
| 2. | 274 अ एवं 275 | भूमि उपयोग व भवन निर्माण का विनियम |
| 3. | 45 | आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना |
| 4. | 45 | सड़कें एवं पुलें |
| 5. | 45 एवं 169-192 | घरेलु, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों हेतु जलापूर्ति |
| 6. | 45, 193-203 एवं 220-230 | लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, संरक्षण एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन |
| 7. | 45, 250-261 एवं 262-268 | शहरी वानिकी एवं वातावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी पहलुओं को बढ़ावा देना |
| 8. | 287 | दिव्यांग एवं मंदबुद्धि सहित समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण |
| 9. | 287 एवं 289 | गंदी बस्ती का सुधार एवं उत्थान |
| 10. | 287 | नगरीय निर्धनता उन्मूलन |
| 11. | अध्याय 32 | नगरीय सुविधाएं जैसे पार्क, बगीचे, खेल के मैदान का प्रावधान |
| 12. | 45 | सांस्कृतिक शैक्षणिक एवं सौंदर्यात्मक पहलुओं को बढ़ावा |
| 13. | 269-272 एवं 421 | कब्र और कब्रिस्तान, दाह संस्कार, दाह संस्कार भूमि एवं विद्युत शवदाह गृह |
| 14. | 249 एवं 421 | मवेशी के लिए तालाब; जानवरों के प्रति क्रूरता का निवारण |
| 15. | 352-353 | जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण सहित महत्वपूर्ण आँकड़े |
| 16. | 45 | जन सुविधाएं जैसे गलियों में रोशनी, पार्किंग स्थल, बस स्टैण्ड एवं लोक सुविधाएँ |
| 17. | 245 एवं 421 | कसाईखानों एवं चर्म उद्योगों का विनियम |
| 18. | — | अग्निशमन सेवा |

(स्रोत : बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 और संविधान की बारहवीं अनुसूची)

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.7.4, पृष्ठ-40)

बिहार के नगर निगमों द्वारा सेवा स्तर मानकों में निर्दिष्ट लक्ष्य एवं इसकी प्राप्ति की स्थिति को दर्शाती विवरणी

| सूचक | मानक लक्ष्य | बारह नगर निगमों द्वारा लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति (प्रतिशत में)* | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|----|----|-----------------------|----|---------------------|----|----|----|----|-----------------------|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| जलापूर्ति | | | | | | | | | | | | | |
| जलापूर्ति संयोजन की व्याप्ति | 100% | उपलब्ध नहीं कराया गया | 22 | 30 | उपलब्ध नहीं कराया गया | 14 | निविदा प्रक्रियाधीन | 9 | 18 | 34 | 8 | उपलब्ध नहीं कराया गया | |
| मीटरिंग का विस्तार | 100% | उपलब्ध नहीं कराया गया | | | | | | | | | | | |
| जलापूर्ति की निरंतरता | 24 घंटे | उपलब्ध नहीं कराया गया | | | | | | | | | | | |
| जल उपभोग शुल्क के संग्रहण में दक्षता | 90% | उपलब्ध नहीं कराया गया | | | | | | | | | | | |
| ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता | 80% | उपलब्ध नहीं कराया गया | | | | | | | | | | | |
| मल व्यवस्था | | | | | | | | | | | | | |
| शौचालय की व्याप्ति | 100% | उपलब्ध नहीं कराया गया | | | | | | | | | | | |
| मल व्यवस्था तंत्र की व्याप्ति | 100% | उपलब्ध नहीं कराया गया | | | | | | | | | | | |
| ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता | 80% | उपलब्ध नहीं कराया गया | | | | | | | | | | | |
| स्टॉम जल निकासी की व्यवस्था | | | | | | | | | | | | | |
| स्टॉम जल निकासी तंत्र की व्याप्ति | 100% | उपलब्ध नहीं कराया गया | | | | | | | | | | | |
| जल जमाव एवं बाढ़ की घटना | 0% | उपलब्ध नहीं कराया गया | | | | | | | | | | | |
| टोस अपशिष्ट प्रबंधन | | | | | | | | | | | | | |
| घरेलू स्तर पर व्याप्ति | 100% | 89 | 82 | 65 | 92 | 95 | 62 | 92 | 74 | 62 | 67 | 72 | 78 |
| टोस अपशिष्ट के संग्रहण में दक्षता | 100% | 80 | 62 | 45 | 72 | 75 | 42 | 72 | 54 | 42 | 47 | 52 | 58 |
| नगरीय टोस अपशिष्ट के पृथक्करण का विस्तार | 100% | 0 | 0 | 0 | 23 | 60 | 22 | 67 | 24 | 0 | 0 | 15 | 24 |
| नगरीय टोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरीके से निपटान का विस्तार | 100% | 0 | 0 | 0 | 22 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| ग्राहक शिकायतों के निवारण में दक्षता | 80% | 38 | 20 | 15 | 27 | 25 | 25 | 32 | 12 | 15 | 18 | 22 | 42 |

(स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना)

*1. पटना 2. बिहारशरीफ 3. आरा 4. गया 5. मुजफ्फरपुर 6. बेगूसराय 7. मुंगेर 8. पूर्णिया 9. कटिहार 10. छपरा 11. दरभंगा 12. भागलपुर

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: कडिका 3.8.1.3; पृष्ठ-43)

35 शहरी स्थानीय निकायों की प्राप्ति एवं व्यय को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

| विवरण | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| राजस्व आय | | | | | |
| (क) स्व सृजित आय | 1522.07 | 2179.63 | 12850.65 | 14784.76 | 3426.88 |
| (ख) नियत आय | 284.66 | 176.31 | 10823.83 | 17075.03 | 917.62 |
| (ग) राजस्व अनुदान | 11885.73 | 11192.65 | 57913.36 | 71007.31 | 20395.74 |
| (घ) अन्य आय / प्राप्ति | 361.97 | 863.26 | 2315.49 | 5063.70 | 1222.20 |
| कुल | 14054.43 | 14411.85 | 83903.33 | 107930.80 | 25962.44 |
| राजस्व व्यय | | | | | |
| (क) स्थापना | 4206.79 | 5270.40 | 27311.26 | 27165.33 | 4016.24 |
| (ख) कार्यक्रम | 1811.09 | 2936.65 | 0 | 0 | 417.49 |
| (ग) संचालन एवं अनुरक्षण | 1095.85 | 1925.97 | 5316.37 | 17727.53 | 2028.42 |
| (घ) वित्त/ब्याज | 0.68 | 0.55 | 0.02 | 0.05 | 0.38 |
| (ङ) अन्य | 7330.70 | 9474.68 | 14798.24 | 12847.37 | 1886.70 |
| कुल | 14445.11 | 19608.25 | 47425.89 | 57740.28 | 8349.23 |
| पूँजी अनुदान | 32216.58 | 34418.31 | 46637.67 | 139337.05 | 26757.05 |
| पूँजीगत व्यय | | | | | 36275.74 |

(स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट-3.4 (अ)

(संदर्भ: कडिका 3.8.3; पृष्ठ-45)

14वीं वित्त आयोग अनुदानों की आहरण नहीं की गई राशियों को दर्शाती विवरणी

| वर्ष | श.स्था.नि. का नाम | आवंटन सं०/तिथि | पत्र सं०/तिथि | आवंटित राशि (₹ में) | निकासी नहीं की गई राशि (₹ में) | श.स्था.नि. को विभागीय पत्र सं०/तिथि |
|------------|---------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 2016-17 | नगर परिषद्, औरंगाबाद | 191/26.12.2016 | 167,168/2016-17 | 16295810 | 16295810 | 574/31.05.2017 |
| 2016-17 | नगर परिषद्, जहानाबाद | 120/75/25.01.2016 | - | 10945927 | 10945927 | 1298/17.08.2019 |
| | | 120/75/25.01.2016 | - | 10945927 | 10945927 | |
| | | 82/32/31.10.2018 | - | 11023015 | 11023015 | |
| | | 82/32/31.10.2018 | - | 11023015 | 11023015 | |
| 2017-18 | नगर परिषद्, मसौढ़ी | 82/31.10.18 | - | 6248836 | 6248836 | 398/30.06.2019 |
| | | 82/31.10.18 | - | 6248836 | 6248836 | |
| 2018-19 | | 120/25.01.2019 | - | 6205136 | 6205136 | |
| | | 120/25.01.2019 | - | 6205135 | 6205135 | |
| 2017-18 | नगर पंचायत, मोहनियां | 82/31.10.2018 | - | 1972877 | 1972877 | 396/06.05.2019 |
| | | 82/31.10.2018 | - | 1972876 | 1972876 | |
| 2018-19 | नगर पंचायत, डुमरा | 82/31.10.2018 | - | 3252383 | 3252383 | 428/25.05.2019 |
| | | 120/25.01.2019 | - | 3229639 | 3229639 | |
| 2018-19 | नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर | 82/31.10.18 | - | 8317662 | 8317662 | 205/03.07.2019 |
| | | 120/25.1.19 | - | 8259494 | 8259494 | |
| 2018-19 | नगर पंचायत, मढ़ौरा | 120/25.1.19 | - | 7160802 | 7160802 | 393/24.07.2019 |
| 2015-16 | नगर पंचायत, मेहसी | 75,76/23.12.2015 | - | 2849004 | 2849004 | 1067/30.08.2019 |
| 2015-16 | नगर परिषद्, गोपालगंज | 75/23.12.2015 | - | 2576041 | 2576041 | 952/14.06.2017 |
| | | 191/26.12.2015 | - | 4129063 | 4129063 | |
| 2015-16 | नगर पंचायत, मैरवा | 75/23.12.2015 | - | 2422625 | 2422625 | 800/25.10.2016 |
| 2019-20 | नगर परिषद्, सुरसंड | 120/25.01.2019 | - | 6559622 | 6559622 | 2016/29.11.2019 |
| कुल | | | | 137843725 | 137843725 | |

(स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट-3.4 (ब)

(संदर्भ: कडिका 3.8.3; पृष्ठ-45)

5वीं राज्य वित्त आयोग अनुदानों की आहरण नहीं की गई राशियों को दर्शाती विवरणी

| श.स्था.नि. का नाम | वर्ष | आवंटन सं० / तारीख | आवंटित राशि (₹ में) | निकासी नहीं की गई राशि (₹ में) | श.स्था.नि. को विभागीय पत्र सं० / तारीख |
|------------------------|---------|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|--|
| नगर निगम, मुंगेर | 2017-18 | 354/29.03.2017 | 42266800 | 42266800 | 511/06.03.2018 |
| | | 353/29.03.2017 | 6122361 | 6122361 | |
| नगर परिषद्, मसौढ़ी | 2017-18 | 21/10.07.2018 | 13242912 | 13242912 | 398/03.06.2019 |
| | | | 13242911 | 13242911 | |
| | 2018-19 | 15/03.07.2018 | 12949026 | 12949026 | |
| | | | 12949025 | 12949025 | |
| नगर पंचायत, हिसुआ | 2017-18 | 15/03.07.2018 | 11459129 | 11459129 | 905/07.05.2019 |
| | | 21/10.07.2018 | 11719201 | 11719201 | |
| नगर परिषद्, हाजीपुर | 2017-18 | 353,354/ 29.03.2017 | 58938705 | 58938705 | 651/28.03.2018 |
| नगर पंचायत, परसा बाजार | 2017-18 | 353/29.03.2017 354/29.03.2017 | 8054594 | 8054594 | 450/20.09.2017 |
| | | | 1054722 | 1054722 | |
| | | | 5615713 | 5615713 | |
| कुल | | | 197615099 | 197615099 | |

(स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: कडिका 3.8.6; पृष्ठ-46)

रोकड़ बही और पासबुक के बीच इकाई-वार अंतर को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

| क्रम सं० | इकाई का नाम | रोकड़ बही अंतशेष | पासबुक अंतशेष | अंतर | टिप्पणियाँ |
|-----------------|-------------------------|------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5(4-3) | 6 |
| 1 | नगर निगम, आरा | 4159.64 | 4450.22 | 290.58 | 31 मार्च 2016 को |
| 2 | नगर निगम, बेगूसराय | 7084.14 | 7203.70 | 119.56 | 31 मार्च 2017 को |
| 3 | नगर निगम, मुजफ्फरपुर | 1551.66 | 1956.82 | 405.16 | 31 मार्च 2018 को |
| 4 | नगर परिषद्, औरंगाबाद | - | - | - | बैंक समाधान विवरणी नहीं बनाया गया |
| 5 | नगर परिषद्, खगड़िया | 1896.04 | 1917.62 | 21.58 | 31 मार्च 2017 को |
| 6 | नगर परिषद्, नरकटिया गंज | 2416.11 | 2459.38 | 43.27 | 31 मार्च 2017 को |
| 7 | नगर परिषद्, समस्तीपुर | 2297.18 | 2318.83 | 21.65 | 31 मार्च 2017 को |
| 8 | नगर पंचायत, कसबा | - | - | 112.95 | 23 मार्च 2017 को |
| कुल अंतर | | | | 1014.75 | |

(स्रोत : निरीक्षण प्रतिवेदन)

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: कंडिका 3.8.7; पृष्ठ-47)

समायोजित एवं असमायोजित ए.सी. बिलों की वर्षवार ब्यौरा को दर्शाती विवरणी

| वर्ष | ए.सी. बिल के तहत निकासी की गई राशि (₹ में) | महालेखाकार द्वारा समायोजित की गई राशि (₹ में) | असमायोजित राशि (₹ में) | असमायोजित राशि की प्रतिशतता |
|------------|--|---|------------------------|-----------------------------|
| 2003-04 | 917000 | 0 | 917000 | 100 |
| 2004-05 | 1078000 | 0 | 1078000 | 100 |
| 2005-06 | 200000 | 0 | 200000 | 100 |
| 2006-07 | 2852000 | 245752 | 2606248 | 91 |
| 2007-08 | 151337181 | 8121840 | 143215341 | 95 |
| 2008-09 | 238580 | 0 | 238580 | 100 |
| 2009-10 | 47084160 | 923562 | 46160598 | 98 |
| 2010-11 | 191259853 | 74187821 | 117072032 | 61 |
| 2011-12 | 2683400 | 0 | 2683400 | 100 |
| 2012-13 | 24854190 | 10553110 | 14301080 | 58 |
| 2013-14 | 625000 | 0 | 625000 | 100 |
| 2014-15 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2015-16 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2016-17 | 95850723 | 39047497 | 56803226 | 59 |
| 2017-18 | 1000000 | 619100 | 380900 | 38 |
| 2018-19 | 0 | 0 | 0 | - |
| कुल | 519980087 | 133698682 | 386281405 | 74 |

(स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट-3.7

(संदर्भ: कडिका-3.8.8; पृष्ठ-47)

लेखापरीक्षा के दौरान हुई वसूली को दर्शाती विवरणी

| क्रम सं० | इकाई | रसीद के प्रकार | सुझाई गई वसूली की राशि (₹ में) | वास्तव में वसूल की गई राशि (₹ में) | वसूली की अवधि |
|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------|
| 1. | नगर परिषद्, बेतिया | एम रसीद (विविध रसीद) | 1,10,780 | 1,10,780 | सितम्बर 2017 |
| 2. | नगर परिषद्, फॉरबिसगंज | एम रसीद | 7,515 | 6,885 | नवम्बर 2016 |
| 3. | नगर परिषद्, हिलसा | एम रसीद | 43,522 | 43,522 | सितम्बर 2017 |
| 4. | नगर परिषद्, नवादा | एम रसीद | 1,44,475 | 1,44,475 | मई 2016 |
| 5. | नगर परिषद्, सहरसा | एम रसीद और एच रसीद | 2,39,384 | 2,39,384 | अप्रैल 2016 |
| 6. | नगर परिषद्, शेखपुरा | एम रसीद | 2,04,259 | 2,04,259 | अगस्त 2017 |
| 7. | नगर पंचायत, अमरपुर | एच रसीद | 64,540 | 64,540 | अप्रैल 2016 |
| 8. | नगर पंचायत, कांटी | एम रसीद | 10,074 | 10,074 | मई 2016 |
| 9. | नगर पंचायत, कटैया | एच रसीद | 38,561 | 38,561 | जून 2016 |
| 10. | नगर पंचायत, मुरलीगंज | आपदा अग्रिम | 33,17,770 | 1,75,500 | फरवरी 2016 |
| 11. | नगर पंचायत, नवगछिया | एम रसीद और एच रसीद | 74,685 | 74,685 | अप्रैल-मई 2016 |
| 12. | नगर पंचायत, तेघड़ा | एम रसीद और एच रसीद | 20,840 | 20,840 | फरवरी 2016 |
| कुल | | | 42,76,405 | 11,33,505 | |

(स्रोत : निरीक्षण प्रतिवेदन)

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ: कंडिका-4.1; पृष्ठ-49)

प्रत्येक पांच वर्ष में होल्डिंग के वार्षिक किराया मूल्य का पुनरीक्षण न करने के कारण हुई राजस्व हानि को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

| क्रम सं० | नगर निगम का नाम | वर्ष | होल्डिंग्स की सं० | सम्पत्ति कर की वार्षिक वसूली | 15 प्रतिशत पुनरीक्षण के बाद सम्पत्ति कर | सम्पत्ति कर की हानि |
|------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (6-5) |
| 1. | बेगूसराय | 2015-16 | 25,478 | 1.49 | 1.7135 | 0.2235 |
| | | 2016-17 | 25,478 | 2.83 | 3.2545 | 0.4245 |
| 2. | छपरा | जनवरी 2014 से मार्च 2014 | 29,337 | 0.50 | 0.575 | 0.075 |
| | | 2014-15 | 30,151 | 1.35 | 1.5525 | 0.2025 |
| | | 2015-16 | 30,246 | 2.12 | 2.438 | 0.318 |
| | | 2016-17 | 31,000 | 1.51 | 1.7365 | 0.2265 |
| | | 2017-18 | 34,495 | 2.39 | 2.7485 | 0.3585 |
| | | 2018-19 | 34,839 | 2.21 | 2.5415 | 0.3315 |
| | | 2019-20 | 35,013 | 2.69 | 3.0935 | 0.4035 |
| 3. | दरभंगा | जनवरी 2014 से मार्च 2014 | 12,709 | 0.41 | 0.4715 | 0.0615 |
| | | 2014-15 | 17,743 | 2.54 | 2.921 | 0.381 |
| | | 2015-16 | 16,980 | 2.62 | 3.013 | 0.393 |
| 4. | मुंगेर | 2016-17 | 25,438 | 5.90 | 6.785 | 0.885 |
| | | 2017-18 | 25,438 | 4.51 | 5.1865 | 0.6765 |
| | | 2018-19 | 25,643 | 6.67 | 7.6705 | 1.0005 |
| | | 2019-20 | 25,905 | 5.65 | 6.4975 | 0.8475 |
| 5. | पटना | जनवरी 2014 से मार्च 2014 | उपलब्ध नहीं | 8.24 | 9.476 | 1.236 |
| | | 2014-15 | उपलब्ध नहीं | 23.22 | 26.703 | 3.483 |
| | | 2015-16 | 208981 | 34.27 | 39.4105 | 5.1405 |
| | | 2016-17 | 223437 | 43.82 | 50.393 | 6.573 |
| | | 2017-18 | 228808 | 48.01 | 55.2115 | 7.2015 |
| | | 2018-19 | 186789 | 82.15 | 94.4725 | 12.3225 |
| | | 2019-20 | 193635 | 60.83 | 69.9545 | 9.1245 |
| 6. | पूर्णिया | जनवरी 2014 से मार्च 2014 | 33,218 | 0.15 | 0.1725 | 0.0225 |
| | | 2014-15 | 35,056 | 0.81 | 0.9315 | 0.1215 |
| कुल | | | | | | 52.0335 |

(स्रोत : नमूना जाँचित नगर निगम द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ: कंडिका - 4.7; पृष्ठ-59)

विभिन्न श.स्था.नि. में जमा नहीं की गई नगरीय-राजस्व को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

| क्रम सं. | श.स्था.नि. का नाम | संग्रहण अवधि | कुल संग्रहित राशि | जमा राशि | जमा अवधि | कम जमा | संग्रहण शीर्ष |
|----------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|----------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 (4-5) | 8 |
| 1. | नगर पंचायत झांझा | 22.07.2016 से 21.08.2017 तक | 261296 | 216782 | 01-12-17 से 19-01-18 तक | 44514 | होलिडिंग रसीद |
| 2. | नगर पंचायत बेलसंड | 08.05.2014 से 14.04.2017 तक | 3426576 | 2902536 | 14-09-15 से 11-02-21 तक | 524040 | होलिडिंग रसीद एवं विविध रसीद |
| 3. | नगर पंचायत कोइलवर | 18.02.2013 से 28.01.2017 तक | 2033395 | 1199550 | 02-04-13 से 24-09-14 तक | 833845 | विविध रसीद |
| 4. | नगर परिषद् जमुई | 27.03.2015 से 30.08.2017 तक | 13291165 | 11657716 | 27-03-15 से 27-04-17 तक | 1633449 | होलिडिंग रसीद एवं विविध रसीद |
| | | 17.03.2016 से 03.10.2016 तक | 35995 | 0 | - | 35995 | विविध रसीद |
| | कुल | | 19048427 | 15976584 | | 3071843 | |

(स्रोत : निरीक्षण प्रतिवेदन और नमूना जांचित नगर निगम द्वारा प्रदत्त सूचना)

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ: कंडिका - 4.8; पृष्ठ-60)

मशीनों के क्रय पर अनुत्पादक व्यय को दर्शाने वाला विवरण

| क्रम सं० | दिनांक | चेक सं० | राशि (₹ में) | टिप्पणियां |
|------------|------------|---------|----------------|------------------|
| 1. | 24.09.2015 | 000022 | 2490000 | |
| 2. | 23.12.2015 | ए732534 | 2490000 | |
| 3. | 25.01.2016 | ए732598 | 1967137 | |
| 4. | 23.02.2016 | ए731936 | 987225 | वैट की राशि |
| 5. | 09.03.2017 | - | 365638 | 5 प्रतिशत एस. डी |
| कुल | | | 8300000 | |

(स्रोत : निरीक्षण प्रतिवेदन और नमूना जाँचित इकाई द्वारा प्रदत्त सूचना)

